भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 551

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

.....

मुल्ला पेरियार बेबी डैम को मजबूत करना

551. श्री तमिलसेल्वन थंगा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुल्ला पेरियार बेबी डैम की संरचनात्मक विश्वसनीयता और संरक्षा बढ़ाने के लिए इसे मजबूत करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या मुल्ला पेरियार डैम के जलस्तर को 152 फीट पर बनाए रखने के लिए कोई उपाए के जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण है तथा इस मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख) मुल्लापेरियार बांध का संचालन और रखरखाव बांध के मालिक यानी तमिलनाडु सरकार के पास है। तदनुसार, बांध के सुदृढ़ीकरण के उपाय तमिलनाडु सरकार द्वारा किए जाने हैं।

केंद्रीय जल आयोग ने वर्ष 1979 में, मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपाय सुझाए थे। दीर्घकालिक उपायों के तहत, बेबी बांध को मजबूत करने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 में मुल्लापेरियार बांध में बांध सुरक्षा की समस्या और मुल्लापेरियार जलाशय में जल स्तर बढ़ाने के अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट (मार्च 2001) में जल स्तर को +142 फीट तक बढ़ाने की सिफारिश करने के अलावा, बेबी बांध और मिट्टी के बांध को मजबूत करने और कुछ अन्य कार्यों की सिफारिश की।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 27.02.2006 के अपने निर्णय में, अन्य बातों के अलावा, जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने का निर्देश दिया था तथा तमिलनाडु राज्य को सीडब्ल्यूसी के सुझाव के अनुसार और अधिक सुदृढ़ीकरण उपाय करने की अनुमति दी थी तथा केरल राज्य को इस मामले में सहयोग करने का निर्देश दिया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 07.05.2014 के निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27.02.2006 के निर्णय के अनुसार सुदृढ़ीकरण उपाय (जैसा कि सीडब्ल्यूसी द्वारा सुझाया गया है) करने का आदेश दिया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिनांक 07.05.2014 के आदेश के अनुसार मुल्लापेरियार बांध पर एक पर्यवेक्षण समिति का गठन किया गया था और बाद में वर्ष 2022 में इसे पुनर्गठित किया गया। बेबी बांध और मिट्टी के बांध को मजबूत करने के मामले पर नियमित रूप से इसकी सभी बैठकों में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ग) और (घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 27.02.2006 के निर्णय में निर्देश दिया था कि सीडब्ल्यूसी की संतुष्टि के अनुसार, सुदृढ़ीकरण उपायों (जैसा कि सीडब्ल्यूसी और विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाया गया है) के पूरा होने के बाद, स्वतंत्र विशेषज्ञ सुरक्षा पहलुओं की जांच करेंगे, उसके बाद ही जल स्तर को 152 फीट तक बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 07.05.2014 के निर्णय के अनुसार, मुल्लापेरियार बांध पर आगे के सुदृढ़ीकरण उपायों के पूरा होने के बाद जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने की अनुमति है और अंततः उसके पहले के निर्णय के अनुसार 152 फीट तक बढ़ाने की अनुमति है।

इस समय सीडब्ल्यूसी और विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित शेष सुदृढ़ीकरण उपायों को पूरा न किए जाने के कारण बांध में जल स्तर 152 फीट तक नहीं बढ़ाया जा सका है। केरल सरकार द्वारा अनुमति जारी न किए जाने के कारण ये कार्य पूरे नहीं हो सके।

केरल सरकार द्वारा आवश्यक मंजूरी प्रदान करने के लिए, मुल्लापेरियार बांध पर पर्यवेक्षण समिति अपनी सभी बैठकों में दोनों राज्य सरकारों के साथ बांध के लंबे समय से लंबित शेष सुदृढ़ीकरण कार्यों के मामले पर नियमित रूप से विचार-विमर्श कर रही है।

*****